



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 7877 / NR-4/NREGS-MP/11

भोपाल, दिनांक 30/07/11

प्रति,

समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
(सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया)
जेल रोड़ भोपाल।

विषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त व्यवस्था।
संदर्भ:- म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 7778 / NR-4/NREGS-MP/11 भोपाल, दिनांक 28.07.2011

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित शासनादेश का अवलोकन करें इस संबंध में तत्काल ही सभी संबंधित बैंकों को आपके स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

शासनादेश में दर्शित राशि प्रवाह की प्रविधि जोकि बहुत स्पष्ट है को तत्काल ही लागू किया जाना है अतः तत्काल समय-सीमा में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

चूंकि आप राज्य स्तर की समन्वय बैंक है इस परिप्रेक्ष्य में जिलों में हो रही कार्यवाही से निरंतर परिषद् मुख्यालय को अवगत भी कराने का कष्ट करें।

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्रमांक / 7878 / NR-4/NREGS-MP/11
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 30/07/11

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक संस्थागत वित्त विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर संदर्भित शासनादेश सूचनार्थ।
3. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त जिला की ओर सूचनार्थ तत्काल कार्यवाही सूचित करें।

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 7778/NR-4/NREGS-MP/11

भोपाल, दिनांक 28/07/11

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

विषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त व्यवस्था।
संदर्भ:- म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 646/22/वि-7/ग्रा.रो
/2006 दिनांक 17.1.2006

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित शासनादेश के बिन्दु (अ) में पूर्व में स्कीम संचालन हेतु जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर राशि प्रवाह हेतु खाते खोलने के निर्देश दिये गये हैं। राशि का प्रवाह निरंतर रहे इसी के साथ अकुशल श्रम भुगतान में विलम्ब को कम किया जा सके अतः निम्न व्यवस्था अनुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

1. मूल खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में रहेगा परन्तु जिले हेतु धनराशि का वितरण बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार जिले की लीड बैंक द्वारा किया जायेगा।
2. परिषद् के खाते से विभिन्न जिलों की संबंधित लीड बैंक में स्कीम की राशि प्रवाहित की जाएगी। अतः जिले को मनरेगा स्कीम का जिले का नोडल खाता संबंधित जिले की लीड बैंक में संधारित करना होगा।
3. राशि का प्रवाह एवं वितरण चूंकि "सर्विस ऐरिया एप्रोच" एवं हितग्राही को 5 किलो मीटर की सीमा के अंदर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सके इस परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित किया जाएगा; अतः संबंधित जिले की लीड बैंक जिले में सर्विस ऐरिया बैंक से एवं अन्य बैंकों से समन्वय, स्कीम से संबंधित राशि प्रवाह एवं तत्संबंधी संसूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होंगी। राज्य स्तर पर संबंधित लीड बैंक का मुख्यालय उनके अपने जिलों के लीड बैंक के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगा। इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् से समन्वय एवं समय-समय पर चाही गई संबंधित जानकारियां शीघ्र ही प्रदान करने हेतु उत्तरदायी भी होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भोपाल का मुख्यालय भी इस संबंध में विभिन्न बैंको से समन्वय का चाही गई जानकारियां तत्काल उपलब्ध कराएगा।
4. जनपद एवं ग्राम पंचायतों के खाते "सर्विस ऐरिया" बैंक में खोले जाएंगे। स्पष्ट है कि अन्य बैंक में खोला गया वर्तमान खाता यदि वह "सर्विस ऐरिया" बैंक में नहीं है तो तत्काल बंद करना होगा। "सर्विस ऐरिया" की बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं पोस्ट आफिस के खाते खोलने हेतु संबंधित संस्थाएं कार्यवाही करेंगी। इस व्यवस्था से लाभ यह होगा कि जिन अकुशल श्रमिकों के खाते इन संस्थाओं में हैं, ऐसे प्रकरणों में हितग्राहियों को "चैक क्लीयरेंस" में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत एवं हितग्राहियों के खाते एक ही बैंक में होंगे। जिन अकुशल श्रमिकों के खाते इन संस्थाओं में न होकर अन्य बैंकों में होंगे उनमें "आर.टी.जी.एस." या "कोर बैंकिंग" से तत्काल ही राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित हो जायेगी अतः दोनों प्रकार के प्रकरणों में विलम्ब नहीं रहेगा।


5. जिले में "सर्विस ऐरिया एप्रोच" के परिप्रेक्ष्य में ऐसे ग्राम जिनमें 5 किलोमीटर की त्रिज्या अर्थात् 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी वित्तीय संस्थान उपलब्ध नहीं है उनमें बैंकिंग सेवाएं देने के लिए संबंधित "सर्विस ऐरिया" बैंक विभिन्न गतिविधियों जैसे मोबाईल बैंकिंग, बायोमेट्रिक ATM, कियोस्क बैंकिंग अथवा "बिजनेस करस्पोंडेन्ट" स्थापित कर हितग्राहियों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आपके जिले में निम्न कैलेंडर अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

कार्यवाही का नाम	समय सीमा
बिन्दु-2 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना	31 जुलाई 2011
बिन्दु-4 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना	12 अगस्त 2011
बिन्दु-5 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना	30 अगस्त 2011

स्पष्ट किया जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के स्कीम खाते किसी भी स्थिति में उपर्युक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य किसी भी बैंक में संधारित नहीं होंगे, अर्थात् जिले में त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं की संख्या के मान से ही खोले गये खातों की संख्या होगी।

01 सितम्बर 2011 से यह व्यवस्था पूर्णतः प्रभावशील की जानी है अतः इस व्यवस्था को पूर्ण कराने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक, लीड बैंक एवं संबंधित बैंकें संयुक्त रूप से पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।



(अरुणा शर्मा)

प्रमुख सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल म.प्र.

भोपाल, दिनांक 28/7/11

पृ.क्रमांक/7779 / NR-4/NREGS-MP/11

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र. प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल परिमंडल भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख सचिव वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव सहकारिता मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर एवं भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संभागायुक्त समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आयुक्त पंचायतराज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. आयुक्त सामाजिक न्याय संचालनालय सामाजिक न्याय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. उप महाप्रबंधक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
15. मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थानीय मुख्यालय भोपाल, महा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, महा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया स्थानीय मुख्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा आंचलिक कार्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, सिंडीकेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, उप महाप्रबंधक केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, वरिष्ठ प्रबंधक विजया बैंक भोपाल, मुख्य प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर भोपाल, मुख्य प्रबंधक इंडियन बैंक भोपाल, सहायक महाप्रबंधक कारपोरेशन बैंक भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. अध्यक्ष झाबुआ, धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. अध्यक्ष महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. अध्यक्ष नर्मदा मालवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. अध्यक्ष रीवा, सीधी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. अध्यक्ष सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
21. अध्यक्ष विदिशा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
22. अध्यक्ष शारदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
23. क्षेत्रीय प्रबंधक एचडीएफसी बैंक भोपाल, क्षेत्रीय प्रमुख आईसीआईसीआई बैंक भोपाल, उपाध्यक्ष एक्सिस बैंक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
24. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (महा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि चूंकि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 143 वीं बैठक में उपर्युक्त विषय पर चर्चा एवं अनुमोदन हो चुका है अतः तत्संबंधी अनुमोदन का कार्यवाही विवरण इस विभाग को भेजने का कष्ट करें। इसी के साथ इन निर्देशों की प्रति समस्त बैंकों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(अरुण शर्मा)

प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल म.प्र.